२० सेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनोशियल जज	नम्बर अहकाम हुक्म में जा
12-3-16 हम सभी दुरुस्ती करने में सहमत हैं। [illegible] [illegible] गोवर्धन [illegible] [illegible]	पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण उपस्थित हैं। तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से भी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी रिपोर्ट में श्याम का वास्तविक नाम रामस्वरूप होना बताया है। अप्रार्थी नं० 1 लगायत 5 भी श्याम के स्थान पर रामस्वरूप दुरुस्त करने पर सहमत हैं। प्रस्तुत रिपोर्ट तहसीलदार गंगापुर सिटी, अप्रार्थीगण की सहमति एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में श्याम के स्थान पर रामस्वरूप किया जाना उचित है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (रविकुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी (गोरधनलाल शर्मा) सेवानिवृत्त तहसीलदार सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी (मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

निण

मुकद
332/
रामस

निर्णय न्यायालय श्री मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी (जिला सवाईमाधोपुर)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
332/2015	17.12.2015	12.03.2016

रामस्वरूप पुत्र भौरया, लोधा निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी ---प्रार्थी

बनाम

1. भोला पुत्र भौरया, लोधा निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
2. कन्हैया पुत्र भौरया, लोधा निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
3. गोवर्धन पुत्र रामप्रसाद, लोधा निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
4. गिर्राज पुत्र रामप्रसाद, लोधा निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
5. गुलाब पत्नि स्व0 रामप्रसाद, लोधा निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
6. सरकार जरिए तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ---अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित:- श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से
अप्रार्थी 1 लगायत 5

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एक ही पूर्वज भौरया पुत्र सोन्या की संतानें हैं। भौरया पुत्र सोन्या के मरने के बाद उसकी विरासत उसके पुत्रों के नाम खुली उसमें प्रार्थी के भाई भोला, कन्हैया, रामप्रसाद के साथ प्रार्थी का नाम श्याम पुत्र भौरया दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम रामस्वरूप पुत्र भौरया है। प्रार्थी चिकित्सा विभाग में सीनियर ट्यूबर क्लोसिस सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत है। सर्विसबुक में भी प्रार्थी का नाम रामस्वरूप पुत्र भौरया है। राशनकार्ड, वोटरलिस्ट, आधारकार्ड, आईकार्ड भी रामस्वरूप पुत्र भौरया के नाम से है लेकिन 16.9.73 को सरपंच द्वारा जो नामान्तरकरण तस्दीक किया गया था उसमें प्रार्थी का नाम श्याम पुत्र भौरया दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी के अलावा श्याम नाम का अन्य कोइ पुत्र भौरया के नहीं था। ग्राम मिर्जापुर की जमाबंदी हाल ख0नं0 1084, 1085, 1095/1, 1094, 628/3, 626 एवं ग्राम हिंगोट्या की जमाबंदी हाल ख0नं0 890, 893 में प्रार्थी का नाम श्याम पुत्र भौरया दर्ज कर रखा है जिसमें दुरूस्ती की जाकर प्रार्थी का नाम सभी रेवेन्यू रिकार्ड में रामस्वरूप पुत्र भोरया दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि तहसीलदार गंगापुर सिटी से इस सम्बन्ध में रिपोर्ट तलब फरमाई जाकर प्रार्थी का नाम दुरूस्त किए जाने के आदेश प्रदान

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं अप्रार्थी तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट चाही गई।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

अप्रार्थी तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज श्याम का ही वास्तविक नाम रामस्वरूप है जो संशोधन योग्य है।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी राशनकार्ड, फोटोकोपी पहचान पत्र, फोटोकोपी पेनकार्ड, फोटोकोपी आधारकार्ड, फोटोकोपी नकल नामान्तरकरण संख्या 62 दिनांक 16.9.73, नकल जमाबंदी सं0 2067 से 2070 ग्राम हिंगोट्या बाबत ख0नं0 890, 893, नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072 ग्राम मिर्जापुर बाबत् ख0नं0 626, 1094, 1084, 1085, 1095 पेश की है।

पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई । लोक अदालत में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 उपस्थित हैं। लोक अदालत में प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थना पत्र 136 लै0रे0एक्ट में ख0नं0 1095/1, 608/3 टाईपिंग की गलती से दर्ज हो गए हैं इसलिए इन दोनों नम्बरों को प्रार्थना पत्र से हटाया जाकर ख0नं0 1095/1 के स्थान पर ख0नं0 1095 दर्ज किया जावे। ख0नं0 1095/1, 608/3 के सम्बन्ध में प्रार्थी कोई रिलीफ प्राप्त करना नहीं चाहता है। प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। उपस्थित सभी पक्षकारों ने प्रार्थी का सही नाम रामस्वरूप होना बताया है एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में श्याम के स्थान पर रामस्वरूप संशोधित किए जाने का निवेदन किया है।

उभयपक्ष को सुना गया । प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं अप्रार्थी नं0 1 लगायत 5 की सहमति के अनुसार प्रार्थी का नाम श्याम नहीं होकर रामस्वरूप है एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती किया जाना उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मिर्जापुर की भूमि ख0नं0 626, 1094, 1084, 1085, 1095 एवं ग्राम हिंगोट्या की भूमि ख0नं0 890, 893 में दर्ज नाम श्याम के स्थान पर रामस्वरूप दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। शेष प्रविष्टियां पूर्वानुसार रहेंगी। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करने हेतु निर्णय की एक प्रति तहसीलदार गंगापुर सिटी को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

पत्रावली फेसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुनिदेव यादव)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी